Regarding review and modification of compensation policy under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013-laid

श्री सुधाकर सिंह **(**बक्सर**) :** भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 29(1) के तहत यह प्रावधान है कि आंशिक रूप से अधिग्रहित मकानों के केवल अधिग्रहित भाग का मुआवजा दिया जाएगा बशर्ते शेष मकान "रहने योग्य" हो । हालांकि, इस प्रावधान ने व्यावहारिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं मकान रहने योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण जिला अधिकारियों, इंजीनियरों या स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जो अक्सर मनमाना और असंगत होता है । प्रभावित परिवारों को ऐसे मकान मिलते हैं जो तकनीकी रूप से "रहने योग्य" घोषित किए गए हैं, लेकिन वे सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते । आंशिक क्षति के कारण घर की संरचना कमजोर हो जाती है और वह दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है । मुआवजा नीति की समीक्षा और संशोधन किया जाए, ताकि ऐसे मकानों के लिए समग्र और न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित हो, जो प्रभावित परिवारों की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखे । "रहने योग्य" स्थिति का आकलन करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशानिर्देश बनाए जाएँ, ताकि निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता हो । मुआवजा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए और प्रभावित लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए ।